



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 65-मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2016-11-मा०सं०-01/2002 टीसी-2

दिनांक : 8 जनवरी, 2016

- 1- मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक,
ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना,
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/
पनकी (कानपुर)/पारीछा (झाँसी)।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-11),
जानपद/जानपद-नव परियोजनायें/इंधन/तापीय परिचालन/
वाणिज्य/आर एण्ड एम/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/टाण्डा वाइन्डिंग सेल/
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 3- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय :- कार्मिकों द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से चल/अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निगम मुख्यालय के आदेश सं० 6031-मा०सं०प्र०-02/2012 दिनांक 29.09.2012 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में कार्यरत अधिकारियों/अधिकारिकों द्वारा अपनी (पति/पत्नी या नाबालिग बच्चों के नाम दर्ज सम्पत्ति सम्मिलित करते हुए) चल/अचल सम्पत्ति, उसके प्राप्त होने की तिथि, उसका माध्यम, अनुमानित लागत, आय का स्रोत आदि का विवरण अपनी प्रथम नियुक्ति एवं उसके पश्चात् प्रतिवर्ष (01 जनवरी से 30 जनवरी के बीच) अपने नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्मिकों को निर्देश दे दें कि वह वर्ष 2015 में अर्जित/पैतृक चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण निगम में प्रचलित प्रारूपानुसार 30 जनवरी, 2016 तक निगम मुख्यालय में उपलब्ध करा दें। चल/अचल परिसम्पत्ति विवरण पत्र का प्रारूप उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उपर्युक्त अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कार्मिकों जिनका अधिष्ठान स्वयं उनके स्तर पर सम्पादित किया जा रहा हो, का अनुश्रवण कड़ाई से सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(एच० पी० वर्मा)

कार्यकारी अपर सचिव (मा०सं०-01)

सं०: 65(1)मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2016/तददिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
- 2- निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।

कमश..2/-

- 3- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
- 4- महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइडिंग सेल/प्रशिक्षण, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- समस्त उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- श्रीमती पूनम मिश्रा, सहायक अभियन्ता (डाटाबेस), सम्बद्ध उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-01), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- कट फाइल।

आज्ञा से,



(एच० पी० वर्मा)

कार्यकारी अपर सचिव (मा०सं०-01)



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

फैक्स नं०: 0522-2286643
नं०: 0522-2287701

पत्र सं०: 6031-मा०सं०प्र०-02/उनिनि/2012- 8-मा०सं०प्र०-02/2012

दिनांक: 29 सितम्बर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 (उ०प्र० शासन की विज्ञप्ति सं०: 2367/11-01-118-54, दिनांक 21.07.1956 सपठित विज्ञप्ति सं०: 1315/98 टी०सी०-का-1/1998, दिनांक 17.10.1998) के परिप्रेक्ष्य में उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं०: 96-विनियम एवं औस/पाकालि/10-6-विनियम/98 दिनांक 20-08-2010 को निदेशक मण्डल की दिनांक 14.09.2012 को सम्पन्न हुई 152वीं बैठक में उक्त नियमावली 1956 के निगम 24(3) के प्राविधान स्तम्भ-1 को उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रभावी करने के लिए स्तम्भ-2 में अंकित प्राविधान से एतद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
24(3): प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सामान्य मार्ग के माध्यम से नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दान के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रहन पर रखे हों, ऐसे हिस्से को या अन्य लगी हुई पूँजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करेगा या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गयी हो। इस घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूँजियों के पूरे व्यारे दिये जाने चाहिए।	उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी (पति/पत्नी या नावालिंग बच्चों के नाम दर्ज सम्पत्ति सम्मिलित करते हुए) चल/अचल सम्पत्ति, उसके प्राप्त होने की तिथि, उसका माध्यम, अनुमानित लागत, आय का स्रोत आदि का विवरण अपनी प्रथम नियुक्ति एवं उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष (01 जनवरी से 30 जनवरी के बीच) अपने नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं०: 6031 -(1)-मा०सं०प्र०-02 / उनिलि / 2012, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।।
- (2) निदेशक(कार्मिक) / (तकनीकी) / (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (4) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
- (5) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन, (मा०सं०)/ (मा०सं०-02/03)/(कारपोरेट स्ट्रेटजी)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर०एण्डएम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (6) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (7) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (8) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (9) समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (10) अधीक्षण अभियन्ता(रिफार्म), कक्ष सं०: 906, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
- (11) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (12) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (13) समस्त उप सचिव/अधिसासी अभियन्ता/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (14) वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशासन)/लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा)/(पेंशन)/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (15) कट फाइल।

आज्ञा से,

(विनय प्रकाश कटियार)
उप महाप्रबन्धक(02)